

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक प. 2(5)न्याय/2012

जयपुर, दिनांक 10 JUL 2017

:: अधिसूचना ::

इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.2(5)न्याय/2012 दिनांक 08.12.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए क्रम संख्या 17 व 18 की प्रविष्टी को विलोपित कर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (सन् 2012 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 32) की धारा 28 तथा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स एक्ट, 2005 (सन् 2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियमों के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय, जयपुर सृजित एवं स्थापित करती है, जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्व जिला जयपुर होगा।

राज्यपाल के आदेश से


(मनोज कुमार ब्यास)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

No. Gen./II/33/2012/ 916

Dated: 11.7.2017

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

1. All Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench, Jaipur. Registrar (Classification)/CPC, RHC, Jodhpur with a request to upload the same at Rajasthan High Court website.
2. District and Session Judge, Jaipur Metro./ Jaipur District
3. Chief Judicial Magistrates, Jaipur District/ CMM Jaipur Metro.
4. Concerned court,
5. Administrative Officer Judicial, Confidential/ RJS (Estt.) Section, Subordinate (Estt.) Section, Statistics Section, Building, Budget, computer cell (for update the name of courts & mail to concerned DJ), Rajasthan High Court, Jodhpur.


11.7.2017
REGISTRAR (RULES)